राष्ट्रीय ग्रामीण स्वस्थ्य मिशन
कार्यालय राज्य स्वास्थ्य समिति
बैंक ऑफ इंडिया भवन, तृतीय तल,
अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल मध्यप्रदेश

क्रमांक / एन.आर.एच.एम. / एच.आर. / 2014 / 2563 भोपाल, दिनांक 25.03.14

प्रति,

1. संचालक, आई.डी.एस.पी., म.प्र.
2. संचालक, राष्ट्रीय आयोडिन अल्पता नियंत्रण कार्यकम, म.प्र.
3. संचालक, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कायकम, म.प्र.
4. संचालक, राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यकम, म.प्र.
5. संचालक, राष्ट्रीय मूक बधिर नियंत्रण कार्यकम, म.प्र.
6. संचालक, राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यकम, म.प्र.
7. संचालक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यकम, म.प्र.
8. संचालक, पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यकम, म.प्र.
9. संचालक, टीकाकरण नियंत्रण कार्यकम, म.प्र.

विषय:— राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत संविदा वित्त कर्मचारियों के मासिक मानदेय के संबंध में ।

संदर्भ:— 1. कार्यालयीन आदेश क्र. / एच.आर. / 2014 / 443 भोपाल दिनांक 16 / 01 / 2014

2. कार्यालयीन आदेश क्र. / एच.आर. / 2014 / 1970 भोपाल दिनांक 3 / 03 / 2014

*****

विषयांतर्गत लेख है कि उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अधीन स्वीकृत संविदा पदों के मूल मासिक मानदेय का पुनरीक्षण किया गया है। उक्त पत्र में राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अधीन समस्त वित्त संबंधी स्वीकृत संविदा पदों के लिए आर.सी.एच. / एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत स्वीकृत संविदा वित्तीय संवर्ग से एकरूप, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मूल मासिक मानदेय का निर्धारण का उल्लेख है।

स्पष्ट किया जाता है कि:—

1. संदर्भित कण्डिका में "राष्ट्रीय कार्यक्रम" के स्थान पर "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" पढा जावे।
2. उपरोक्तानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वीकृत संविदा वित्तीय संवर्ग की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निर्धारित मासिक मानदेय संबंधी आदेश केवल राज्य स्तरीय वित्तीय संवर्ग पर ही लागू होगा।
3. सुलभ संदर्भ हेतु निम्नानुसार पुनः अवलोकन किया जाये:—

एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत स्वीकृत राज्य स्तरीय वित्तीय संविदा संवर्ग हेतु शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पुनरीक्षित मूल मासिक मानदेय (Basic pay fixation of State level contractual financial positions under NRHM according to educational qualification)		
1	CA	45000 / —
2	ICWA	30000 / —
3	M.Com (Finance)	20000 / —
4	MBA (Finance)	20000 / —

4. उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि के कारण यदि किसी परिस्थिति में विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ एम.कॉम उत्तीर्ण किसी भी संविदा लेखापाल हेतु शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, राशि ₹20000 / — प्रति माह का निर्धारण कर अंतर राशि (एरियर) का भुगतान किया गया हो तो, उस राशि का समायोजन आगामी माहों की मासिक मानदेय राशि में सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में उस मान से भुगतान न किया जाये।

24/03/14

(डॉ. एम.गीता)
मिशन संचालक,
एन.आर.एच.एम.,मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक / एन.आर.एच.एम. / एच.आर. / 2014 / भोपाल, दिनांक :

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ।

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वल्लभ भवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन भोपाल।
4. समस्त संयुक्त संचालक, राष्ट्रीय कार्यक्रम / टीकाकरण मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
7. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.आर.एच.एम. मध्यप्रदेश।
9. समस्त जिला लेखा प्रबंधक, एन.आर.एच.एम. मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक,
एन.आर.एच.एम.,
मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, तृतीय तल अरेरा हिल्स,
भोपल मध्यप्रदेश

क्रमांक / एच.आर. / आर.सी.एच. / एन.आर.एच.एम. / 2014 / 1970 भोपाल दिनांक 03.03.14

प्रति,

1. संचालक, आई.डी.एस.पी., म.प्र.
2. संचालक, राष्ट्रीय आयोडिन अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम, म.प्र.
3. संचालक राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कायक्रम, म.प्र.
4. संचालक, राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम, म.प्र.
5. संचालक, राष्ट्रीय मूक बधिर नियंत्रण कार्यक्रम, म.प्र.
6. संचालक राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम, म.प्र.
7. संचालक राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, म.प्र.
8. संचालक, पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, म.प्र.
9. संचालक, टीकाकरण नियंत्रण कार्यक्रम, म.प्र.

विषय :– राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अधीन स्वीकृत संविदा पदों के मूल मासिक मानदेय के पुनरीक्षण बावत।

संदर्भ :– कार्यालयीन पत्र क्र.एन.आर.एच.एम. / एच.आर. / 2014 / 443 दिनांक 16 / 01 / 2014

–00–

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अधीन स्वीकृत संविदा पदों का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों के अनुरुप मूल मासिक मानदेय का निर्धारण किया गया है।

- एतद् आदेश द्वारा निम्नानुसार संविदा संवर्गो के लिए पूर्व मे निर्धारित मूल मासिक मानदेय का पुनरीक्षण किया जाता है।
- जिला स्तरीय सीनियर डॉट प्लस टी.बी. / एच.आई.व्ही. सुपरवाईजर का पदनाम पुनरीक्षण भारत सरकार के निर्देश अनुरूप जिला पी.एम.डी.टी. टी.बी. / एच.आई.व्ही. कोआर्डिनेटर किया गया है।
- जिला पी.एम.डी.टी. टी.बी. / एच.आई.व्ही. कोआर्डिनेटर का मासिक मानदेय पूर्ववत राशि ₹ 20000 / – रहेगा।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के अंतर्गत संलग्न तालिका अनुसार मासिक मानदेय दिनांक 01 / 04 / 2013 से एतद् आदेश द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
- संविदा कर्मचारियों को वर्तमान मासिक मानदेय एवं पुनरीक्षित मूल मासिक मानदेय के अंतर राशी का एरियर / बकाया राशि का तत्काल भुगतान किया जाए।
- राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अधीन समस्त वित्त संबंधी स्वीकृत संविदा पदों के लिए आर.सी.एच. / एन.आर. एच.एम. के अंतर्गत स्वीकृत संविदा वित्तीय संवर्ग से एकरूप, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मूल मासिक मानदेय का निर्धारण किया गया है। अतः समस्त वित्तीय संविदा संवर्ग हेतु तालिका में दर्शाए अनुसार ही मानदेय दिया जाए।
- यदि किसी परिस्थिति में किसी संविदा केडर के लिए मूल मासिक मानदेय से अधिक मानदेय, वर्तमान में पदस्थ कर्मचारी द्वारा आहरित किया जा रहा हो तो वर्तमान मानदेय निरन्तर रखा जाए।

अनुलग्नक –1

पुनरीक्षित मासिक मानदेय तालिका

क्रं.	संविदा केडर का नाम	पुनरीक्षित मूल मासिक मानदेय (राशि ₹ में)
राष्ट्रीय पुनरीक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP)		
1	सीनियर ट्रीटमेन्ट सुपरवाईजर (STS)	20000/–
2	सीनियर ट्रीटमेन्ट लैबोरेटरी सुपरवाईजर (STLS)	
3	राज्य लेखा अधिकारी (State Account Officer)	25000/–
4	मेडिकल ऑफिसर (RNTCP) (State/Dist / Medical College)	45000/–
5	राज्य पी.पी.एम. समन्वयक (State PPM Co-ordinator)	45000/–
राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP)		
1	एन.बी.वी.डी.सी.पी.. के अंतर्गत फायनेन्स एण्ड लॉजिस्टिक असिस्टेन्ट (जिला स्तरीय)	15000/–
समस्त संविदा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (Contractual DEO - RCH/NRHM/Immunisation/ National Programme)		
1	संविदा डेटा एन्ट्री ऑपरेटर (राज्य/संभाग/जिला/विकास खण्ड स्तरीय	10000/–
राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अधीन समस्त वित्तीय संविदा संवर्ग हेतु शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पुनरीक्षित मूल मासिक मानदेय **(Basic pay fixation of financial positions under National Programmes according to educational qualification)**		
1	CA	45000/–
2	ICWA	30000/–
3	M.Com (Finance)	20000/–
4	MBA (Finance)	20000/–

(Dr. J.L. Mishra)
Director, NRHM
Madhya Pradesh

* समस्त संविदा कर्मचारियों का कार्य आधारित मूल्यांकन नियंत्रणकर्ता अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधी में सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नः— अनुलग्नक —1

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अनुमोदित ।

03/03/14

(डॉ० एम.गीता)
मिशन संचालक
एन.आर.एच.एम.म.प्र.

पृ.क्रमांक / एच.आर. / आर.सी.एच / एन.आर.एच.एम. / 2014 / 1971 भोपाल दिनांक 03.03.14

प्रतिलिपि : सूचनार्थ —

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वल्लभ भवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन भोपाल।
4. समस्त संयुक्त संचालक, राष्ट्रीय कार्यकम / टीकाकरण मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
7. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यकम प्रबंधक, एन.आर.एच.एम. मध्यप्रदेश।
9. समस्त जिला लेखा प्रबंधक, एन.आर.एच.एम. मध्यप्रदेश।

03/03/14

मिशन संचालक
एन.आर.एच.एम.म.प्र.